

भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
उच्चतर शिक्षा विभाग

राज्य सभा
तारांकित प्रश्न संख्या- 169
उत्तर देने की तारीख-11/12/2024

नीट और नेट परीक्षाओं में अनियमितताएं

169 श्री एम. शनमुगम:

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या नीट (एनईईटी) और नेट (एनईटी) प्रवेश परीक्षाओं में अनियमितताओं की जांच के लिए गठित राधाकृष्णन समिति ने अपनी सिफारिशें प्रस्तुत कर दी हैं;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या सरकार ने इन सिफारिशों के आधार पर, अखिल भारतीय प्रवेश परीक्षाओं में किसी सुधार और परिवर्तन पर विचार किया है;
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (ङ) सरकार द्वारा प्रवेश परीक्षाओं को सरल, अधिक विश्वसनीय, कदाचार रहित और अनियमितताओं से मुक्त बनाने और जनता में विश्वास बढ़ाने के लिए क्या पहल की गई है?

उत्तर
शिक्षा मंत्री
(श्री धर्मेन्द्र प्रधान)

(क) से (ङ.): विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है।

“नीट और नेट परीक्षाओं में अनियमितताएं” के संबंध में माननीय संसद सदस्य श्री एम. शनमुगम द्वारा दिनांक 11.12.2024 को पूछे गए राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या *169 के भाग (क) से (ड) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) से (ड): एनटीए द्वारा परीक्षाओं के पारदर्शी, सुचारू और निष्पक्ष संचालन हेतु प्रभावी उपाय किए जाने के उद्देश्य से शिक्षा मंत्रालय ने दिनांक 22.06.2024 को डॉ. के. राधाकृष्णन, पूर्व इसरो अध्यक्ष और अध्यक्ष बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, आईआईटी कानपुर की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति (एचएलसीई) का गठन किया।

इस समिति ने दिनांक 21.10.2024 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है और एनटीए को मजबूत करने, क्षेत्र विशिष्ट जनशक्ति की नियुक्ति, ज्ञान और परीक्षा भागीदार के रूप में टेस्ट इंडेंटिंग एजेंसियों की भागीदारी आदि सहित राष्ट्रीय समान प्रवेश परीक्षा में सुधार की सिफारिश की है। इस समिति ने सिफारिश की है कि एनटीए को सुरक्षित परीक्षा प्रशासन तंत्र उपलब्ध कराने के लिए राज्य/जिला प्राधिकरणों के साथ संस्थागत संबंध विकसित करना चाहिए। इस संबंध में, इस मंत्रालय ने एनटीए परीक्षाओं के सुचारू और निष्पक्ष संचालन के लिए राज्य और जिला स्तरीय समितियों के माध्यम से राज्य मशीनरी के सहयोग हेतु सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को पत्र लिखा है।

एचएलसीई ने पेन और पेपर टेस्ट (पीपीटी) और कंप्यूटर आधारित टेस्ट (सीबीटी) दोनों परीक्षाओं में उल्लंघन को रोकने के उपाय बताए हैं और मानक संचालन प्रक्रियाओं (एसओपी) की सिफारिश की है। परिभाषित प्रोटोकॉल के अनुसार प्रश्न पत्र तैयार करने और जांच के लिए दिशा-निर्देशों की भी सिफारिश की गई है। इसके अलावा, अन्य सिफारिशों के अतिरिक्त, एचएलसीई ने छात्रों को परीक्षा केंद्र आवंटन के किसी भी असामान्य पद्धति को रोकने के लिए परीक्षा केंद्र आवंटन नीति पर विस्तृत रूपरेखा तैयार करने के लिए कहा है। समिति ने एनटीए पर एचएलसीई की सिफारिशों के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए एक उच्चस्तरीय संचालन समिति के गठन की भी सिफारिश की, जिसका मंत्रालय द्वारा दिनांक 14 नवंबर, 2024 को गठन किया गया है।

सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों के प्रयोग को रोकने के लिए, केंद्र सरकार ने सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024 बनाया है। यह अधिनियम 21 जून, 2024 से लागू हो गया है और इसके तहत 23 जून, 2024 को नियम अधिसूचित किए गए हैं।
